न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1309–तीन/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.7.11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक निग0 646/अ/1/10–11.

श्रीमती कमला देवी राठौर
पत्नि स्व. श्री हरगोविंद राठौर (मृतक) वारिसान –
1– आलोक कुमार राठौर
पुत्र स्व. श्री हरगोविंद सिंह राठौर
निवासी भूरे बाबा की बस्ती, लश्कर ग्वालियर.
2– आनन्द कुमार राठौर
पुत्र स्व. श्री हरगोविंद सिंह राठौर
निवासी तहसील के पास झांसी
हाल निवासी – 21/75 धुलियागंज,
शहर आगरा उ.प्र.
दोनों द्वारा मुख्त्यार आम अन्जुल सक्सैना
पुत्र स्व. श्री रामकुमार सिंह सक्सैना
निवासी जवाहर रोड, नौगांव, जिला छतरपुर म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन ——— अनावेदक

आवेदकगण की ओर से श्री विनोद भारद्वाज, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अन्वेष जैन.
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी. के. शुक्ला.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15–06–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 649/अ/1/10–11 में पारित आदेश दिनांक 15–7–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका मृतका कमलादेवी द्वारा संहिता की धारा 57 (2) के तहत अनुविभागीय अधिकारी के यहां इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा नौगांव स्थित प्रश्नाधीन बंगला नं. 28 खसरा नं. 1994/15 लगायत 1994/20 कुल रकबा 8.42 एकड़ दिनांक 23–3–1955 को रूपये 3500/– में रजिस्टर्ड बैनामा से भैयालाल तनय मूलचन्द्र राठौर से क्रय की जाकर मालिकाना दखल प्राप्त किया गया था । क्रय दिनांक से आवेदिका का स्वत्व व आधिपत्य चला आ रहा है । नगर पालिका अभिलेख में उक्त भूमि बंगलानं. 28 आवेदिका के नाम अंकित है । पटवारी द्वारा मनमाने तौर पर आवेदिका का नाम दर्ज न कर उक्त भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज किया जाना कहते हुए आवेदिका को उक्त भूमियों का भूमिस्वामी घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–1/1991–92 पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 30–4–03 द्वारा आवेदिका कमलादेवी (मृतक) को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु 7 वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन कलेक्टर, छतरपुर को दिनांक 31–3–10 को प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–03 को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु कमलादेवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10–5–10 को जारी किया गया जिस पर उनके द्वारा दिनांक 4–5–2011 को आपत्ति प्रस्तुत की गई । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को कलेक्टर द्वारा दिनांक 14–6–11 के आदेश से निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 57 (2) के तहत विधिवत कार्यवाही उपरांत आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 57 (2) के तहत पारित आदेश को संहिता की धारा 57 (3) के तहत सिविल न्यायालय में एक वर्ष की अवधि में ही चुनौती दी जा सकती है जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही 7 वर्ष से अधिक समय उपरांत की गई जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि स्वमेव निगरानी अधिकारों का प्रयोग युक्तियुक्त समयावधि के अंदर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 161, 1999 ए0आय0एच0सी0 4031, 1989 आर0एन0 200, 1988 आर0एन0 265 एवं 1998 (1) म0प्र0डब्लू0एन0 नोट–26 एवं न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 178 के न्याय उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1955 में अभिलिखित भूमिस्वामी भैयालाल से क्रय की थी । भैयालाल प्रश्नाधीन भूमि बंगला नं. 28 का अभिलिखित भूमिस्वामी दर्ज था । आवेदिका का 1955 से लगातार कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर चला आ रहा है और आज भी है ।

यह तर्क भी दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि से लगी हुई भूमि के इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में अपर आयुक्त/व्यवहार न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उनके आवेदकों के पक्ष में हो चुके हैं, जिनमें उनके आवेदकों को भूमिस्वामी मान्य किया गया है तथा शासन के पक्ष को अमान्य किया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा उक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है । कलेक्टर को शासकीय भूमि को बचाने हेतु शक्ति प्राप्त है । अतः कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी की जो कार्यवाही प्रारंभ की गई है वह विधिसम्मत है । अधीनस्थ न्याालय द्वारा भी आवेदक की निगरानी निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । आवेदक जो बिंदु इस न्यायालय के समक्ष उठा रहे हैं उन्हें, उनको कलेक्टर के समक्ष उठाना चाहिए ।

6/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों एवं प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । अभिलेख के